चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 19.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 19.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 04 अभियुक्तों को 86 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया।

(1). उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना राजापुर व उनके हमराही आरक्षी चन्दन विश्वकर्मा द्वारा अभियुक्त कपेस सोनकर पुत्र छेदीलाल निवासी हनुमानगंज थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 22 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(2). उ0नि0 श्री रामकुमार थाना भरतकूप व उनके हमराही आरक्षी शुभम यादव द्वारा अभियुक्त 1. राजेश पु बच्छराज निवासी बछरन थाना पहाडी को 20 अदद क्वार्टर के साथ 2. भैरव प्रसाद पुत्र रामकन्हाई निवासी बछरन थाना को 24 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना भरतकूप में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(3). उ0नि0श्री अरविन्द्र कुमार सिंह व उनके हमराही सतीश यादव द्वारा अभियुक्त आशीष सिंह पुत्र स्व0 बाबूलाल सिंह पटेल निवासी बछरन थाना पहाड़ी को 20 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना भरतकूप में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(4). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी प्रशान्त कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद शुक्ला व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम श्री अनुराग कुरील द्वारा आज दिनांक 19.04.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 101/2018 धारा 307 भादवि0 व 30/27 आर्म्स एक्ट के आरोपी अभियुक्त अजय कुमार निषाद पुत्र स्व0 मिट्ठूलाल निवासी मछली मंडी द्वारिकापुरी जनपद चित्रकूट को 05 वर्ष का कारावास व 10000 रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

संक्षित विवरण-

दिनांक 13.02.2018 को वादी रंजीत निषाद पुत्र जनकू निषाद निवासी मछली मंडी द्वारिकापुरी जनपद चित्रकूट ने कोतवाली कर्वी पर सूचना दी कि उसकी बहिन की शादी का कार्यक्रम चल रहा था जिसमें पुरानी रंजिश के चलते अजय निषाद उपरोक्त ने अपनी लाइसेंसी बंदूक DBBL से फायर कर दिया जिससे बंदूक के छर्रे रिश्तेदारी में आई संगीता देवी व नाई बद्री को लग गए जिससे वह घायल हो गए। इस सूचना पर कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 101/2018 धारा 307 भादवि0 व 30/27 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री दिनेश कुमार सिंह द्वारा संपादित की गई। दिनांक 21.02.2018 को आरोपी को गिरफ्तार कर दिनांक 17.04.2018 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में मादक पदार्थो की तस्करी/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक भरतकूप कर्वी श्री मनोज कुमार के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री राहुल पाण्डेय व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त 1.दशरथ तिवारी पुत्र बलभद्र 2.जुगेश त्रिपाठी पुत्र राममूरत निवासी देवखेर थाना बदौसा जनपद बांदा को 07 किलो 72 ग्राम सूखा नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना भरतकूप पर धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी-
07 किलो 72 ग्राम सूखा गांजा
गिरफ्तार करने वाली टीम-
1.उ0नि0 श्री राहुल पाण्डेय
2.आरक्षी सतीश यादव
3.आरक्षी नरेन्द्र सिंह